रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2012/फाल्गुन 8, 1933

No. 48] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2012/PHALGUNA 8, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2012

सं. भा.आ.प.-18(1)/2010-मेडि./62052.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशाधन) विनियमावली, 2012 (भाग-I)" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2010 (भाग-II), संदर्भ दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. भा.आ.प.-18(1)/2010-मेडि/49070 प्रकाशित दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 को, 2013-2014 से आरंभ हो रहे शैक्षिक वर्ष से लागू किया जाएगा।

3. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

4. "स्नातकोत्तर छात्रों का चयन" शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं.भा.आ.प-18(1)/2010-मेडि/49070 के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 9, उप-खंड III को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"किसी विशेष अकादमिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त अकादमिक वर्ष के लिए आयोजित की गई "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" में कम से कम 50वें पर्सेंटाईल पर अंक प्राप्त करे। तथापि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अंक कम से कम 40वें पर्सेंटाईल पर हों। ऊपर खंड 9 (II) में यथाउपबंधित निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अंक कम से कम 45वें पर्सेंटाईल पर हो। पर्सेंटाईल का निर्धारण, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" में अखिल भारतीय सामूहिक मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा :

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए किसी अकादमिक वर्ष के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में यथाविनिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से, केन्द्र सरकार अपने विवेक पर संबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर में दाखिले हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उक्त अकादमिक वर्ष के लिए लागू होंगे।"

5. "स्नातकोत्तर छात्रों का चयन" शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. भा.आ.प.-18(1)/2010-मेडि/49070 के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 9 में उप-खंड IV के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते कि उन अभ्यर्थियों, जो सरकारी/सार्वजनिक प्राधिकरणों की सेवा में हैं की मेरिट का निर्धारण करने में दूर-दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में की गई सेवा के लिये प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक पर प्रत्येक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की दर से भारांश, जो कि अधिकतम 30 प्रतिशत तक दिया जा सकता है। दूर-दराज के और दुर्गम क्षेत्र वे होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए हों।"

6. "स्नातकोत्तर छात्रों का चयन" शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं भा.आ.प.-18(1)/2010-मेडि/49070 के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 9 में उप-खंड VI के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

VII. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने दूर-दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष तक सेवा की है । स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथापरिभाषित दूर-दराज के और/दुर्गम क्षेत्रों में दो और वर्षों तक सेवा करेंगे ।

VIII. विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारी दाखिले की प्रक्रिया इस प्रकार से आयोजित करेंगे कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्यापन हर वर्ष अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के लिए 2 मई तक और 1 अगस्त तक आरंभ हो जाए । इस उद्देश्य के लिए वे परिशिष्ट-III में दर्शाई गई समय सारणी का अनुपालन करेंगे ।

IX. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी परिस्थिति में 31 मई के बाद और अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के लिए 30 सितम्बर के बाद किसी अकादमिक सत्र के संबंध में छात्रों का कोई दाखिला नहीं होगा । विश्वविद्यालय उक्त तारीखों के बाद दाखिल किए गए किसी भी छात्र को रजिस्टर नहीं करेंगे ।

X. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् यह निर्देश दे सकती है कि दाखिला बंद होने की अंतिम तारीख के बाद दाखिल हुए पाए गए किसी भी छात्र को अध्ययन के पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाए या ऐसे छात्र/छात्रा को प्रदान की गई किसी भी चिकित्सा शैक्षिक योग्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के उद्देश्य के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी । विनिर्दिष्ट की गई अंतिम तारीख के पश्चात् किसी भी छात्र को दाखिला देने वाले संस्थान के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित की जाए, जिसमें आगामी अकादमिक वर्ष के लिए उसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से उतनी सीटों के बराबर सीटें कम करना, जितने उसने दाखिले दिए हैं, शामिल है ।"

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी.—प्रधान नियमावली, नामत: "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009, 9-12-2009, 16-4-2010 और 27-12-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2012

No. MCI-18(1)/2010-Med./62052.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2012 (Part I)".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2010 (Part II), *vide* notification No. MCI.18(1)/2010-Med/49070 dated 21st December, 2010 published on 27th December 2010, shall be applicable from the academic year commencing from 2013-2014.

3. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

4. Clause 9 sub-clause III, under the heading "SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS", as amended *vide* notification No. MCI.18(1)/2010-Med/49070 dated 21st December 2010, following shall be substituted as under :

"In order to be eligible for admission to any postgraduate course in a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in 'National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate courses' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates as provided in clause 9(II) above with locomotory disability of lower limbs, the minimum marks shall be at 45th percentile. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India common merit list in 'National Eligibility-cum-Entrance Test' for Postgraduate courses :

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to Post Graduate Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to Post Graduate Course for candidates belonging to respective categories and

marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only."

5. Clause 9 under the heading 'SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS', as amended *vide* notification No. MCI.18(1)/2010-Med/49070 dated 21st December 2010, following shall be added after sub-clause IV which is as under :—

"Provided that in determining the merit of candidates who are in service of Government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive at the rate of 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test, the remote and difficult areas shall be as defined by State Government/Competent authority from time to time."

6. Clause 9 under the heading 'SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS', as amended *vide* notification No. MCI.18(1)/2010-Med/49070 dated 21st December 2010, following shall be added after sub-clause VI which is as under :—

"VII. 50% of the seats in Post Graduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and/or difficult areas. After acquiring the PG Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and/or difficult areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.

VIII. The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in postgraduate courses starts by 2nd May and by 1st August for super speciality courses each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in Appendix-III.

IX. There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond 31st May for postgraduate courses and 30th September for super speciality courses under any circumstances. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.

X. The Medical Council of India may direct, that any student identified as having obtained admission after the last date for closure of admission be discharged from the course of study, or any medical qualification granted to such a student shall not be a recognized qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956. The institution which grants admission to any student after the last date specified for the same shall also be liable to face such action as may be prescribed by MCI including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year."

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Exty.]

Foot Note.—The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 7th October, 2000 and amended *vide* MCI notification dated 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009, 9-12-2009, 16-4-2010 and 27-12-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.